

FROM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत..... सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम.....

..... नगर सिंह कोत बनाम गोप्रा कोत

किस्म मुकदमा..... नं. स्. 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रिणोधाराम सिन्हा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रिपॉर्डेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/3/18</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सहायक कलेक्टर (SDO)</u> <u>बायतु</u></p> <p>21/03/18</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी-गणों के नोटिस तामिल शुद्धा शल जिसे शामिल पभावली किया गया। विप्रार्थी/गण वाकजुड तामिल अनुसूचित जिनके अखलाप एडवला का कार्यवाही मयल में पेश जाली है। मल: पभावली वास्ते वलस दिनांक 28/03/2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>सहायक कलेक्टर (SDO)</u> <u>बायतु</u></p>	

28/03/18

पार्थि वहील उपस्थित। विपार्थिगण अनुपस्थित।

पार्थि के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पार्थि के अधिवक्ता ने बताया की पार्थि को अपने प्यालेदारी खेतों के चारों ओर फस के नेषम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए पार्थि का नेषमवली आवेदन स्वीकार किया जाउर नेषमवली आदेश दिया जावे। अतः पार्थि के अधिवक्ता के निवेदन पर पार्थि का नेषमवली आवेदन स्वीकार किया जाउर तदनुसार कार्यु को उभारानु नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू अधिकारीय निरिक्षु से पार्थि के प्यालेदारी खेतों की फस की नेषमवली माउ के पर शुल्क जमा उठाउर उर, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पञ्जावली के पञ्जावली फेमल कुमार की दर्ज नाम से उम से दायिल दफ्तर हो।

सहायक कमिश्नर (SDO)
जयपुर

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्री नगसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 8 जाति राजपूत निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर		1. श्री गोमाराम पुत्र जेहाराम वगैरा 28 निवासी खंवालीसरा, नौसर तह. बायतु जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

मौजा खंवालीसरा पटवार हल्का नौसर के खेत खसरा नम्बर 396/35 रकबा 229.03 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमाज्ञान कर, पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(हेताराम चौहान) (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20/3/18

क्रमांक/वाद/2018/ 443 to 447
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री नगसिंह पुत्र जालमसिंह वगैरा 8।
4. विप्रार्थीगण श्री गोमाराम पुत्र जेहाराम वगैरा 28।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 20/3/18

